12.08.2026 वादी द्वारा श्री नितीन व्यास अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 01 के वारिसान की ओर से श्री विजय सिंह राठौर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 02 लगायत 5, 8 व 9 द्वारा श्री राजेश रघुवंशी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 6 द्वारा श्री धर्मेश अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 7 द्वारा श्री के.सी.यादव शासकीय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

प्रतिवादी कमांक 1 के वारिसान अ,ब,स,द, की और से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 25.11.2024 पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण उक्त आवेदन पत्र पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

–सही–
राखी सिकरवार
प्रथम व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड,
के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश
धार जिला धार, (म.प्र.)

पुनःश्चः–

पक्षकार पूर्ववत।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर आदेश हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 के वारिसान अ,ब,स,द, की और से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 25.11.2024 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि से बाधित है। वादी ने यह वाद संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष पालन एवं विकय पत्र को शुन्य कराये जाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है। वादी विकय पत्र दिनांक 12.04.2022 दस्तावेज कमांक एम.पी. 119002022ए139403, विकय पत्र दिनांक 12.04. 2022 ई दस्तावेज कमांक एम.पी.119002022ए1390811 एवं दिनांक 21.03.2023 दस्तावेज कमांक एम.पी.119002023ए1161 9935 को शुन्य घोषित कराना चाहती है, जिन पर पृथक–पृथक मुल्याकन कर न्यायालय शुल्क प्रस्तुत करना होगा, जिसके संबंध में ना तो पृथक–पृथक मुल्याकन वादी ने अपने दावे में किया है, और ना ही उचित न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किया है। वादी ने दावे के वाद का कारण दिनांक 31.03.2024 को होना बताया है, जो कि

असत्य है।

वादी के द्वारा यह दावा कथित भागीदारी विलेख हरीओम वेयर हाउस दिनांक 11.01.2021 का नोटरी से तस्दिक कराये गये लेख के आधार पर पेश किया है, जो कि चलने योग्य नहीं है एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 69 से वादी का दावा बाधित है, उक्त भागीदारी विलेख रजिस्ट्रीकृत नहीं है और ना ही वाद लाने वाली वादी का नाम फर्म के भागीदार के तौर पर दर्ज है। अतः वाद विधि द्वारा बाधित है। कथित दस्तावेज झूठा फर्जी एवं भागीदारी डीड सहीं नहीं है, उक्त निर्मित वेयर हाउस उत्तर दातागण के पति, पिता भवरसिंह स्वयं निर्माण करवाया है। जिससे वादी का कोई संबंध नही है। भंवरसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर उत्तरदाता का विधिवत नामांतरण हुआ है, और उनके द्वारा विधिवत रजिस्टर्ड के आधार पर दिनांक 06.08.2024 को विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी. 119002024ए1998611 के द्वारा ग्राम पीपलिया के दिलीपसिंह और ग्राम सुहागपुरा के राजपालसिंह को उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 4/2/2/1 रकबा 0.461 हैक्टेयर में स्थित 0.436 हैक्टेयर में 27,000/—वर्गफीट पर निर्मित टीनशेड विधिवत प्रतिफल की राशि प्राप्त कर के विक्रय किया जा चुका है, और मौके पर खरिददारो का आधिपत्य होकर उपभोग एवं उपयोग कर रहे है। उक्त संपत्ति वेयर हाउस से वादी का कोई आधिपत्य या अधिकार नहीं है। अत : उपरोक्त विधिक स्थिति में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर वादी का दावा निरस्त किये जाने को निवेदन किया गया।

वादी की और से प्रस्तुत आवेदन पत्र को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार कर जवाब संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा यह वाद विनिर्दिष्ट पालन एवं विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वादी के द्वारा अधिकतम न्यायशुल्क रूपए 1,50,000/—रूपए अदा किये गये है तथा मुल्याकन कर न्यायशुल्क अदा करना विधि की मन्शा नहीं है। अधिकतम न्यायशुल्क पूर्व से ही अदा किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा इस आवेदन में असत्य एवं विधि के विपरीत कथन किये है। वादी ने अपने वाद पत्र में वाद कारण किस दिनांक को प्रारंभ हुए इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है। वाद कारण साक्ष्य का विषय है, तथा साक्ष्य प्रारंभ होने के उपरांत भी इसका निराकरण किया जा सकता है।

भागीदारी के आधार पर वेयर हाउस के संबंध में यह वाद प्रस्तुत किया गया है, तथा विवाद दोनो भागीदारो के मध्य होकर

किसी तृतीय पक्ष के विरूद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भागीदारी के मध्य विवाद हो तथा विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद हो उस दशा में भागीदारी का पंजीयन किया जाना आवश्यक नहीं है। वादी यह वाद प्रस्तुत कर सकता है। तथा किसी भी विधि के प्रावधान की बाधा नहीं आती है। उक्त भागीदारी लेख दोनो पक्षो के बीच निष्पादित किया गया है, तथा उसके आधार पर बैक से कर्ज आदी प्राप्त किया गया है। प्रतिवादी जानबुझकर आवेदन के माध्यम से प्रकरण में लंबान डाल रहा है एवं भूमि विक्रय पत्र करता जा रहा है जिससे वादी को गंभीर क्षति हो रही है, तथा आवेदन विधि के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य होने से सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन करने से दर्शित है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन एवं विक्रय पत्र को शुन्य करने की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है, जिसका आधार वादी द्वारा, वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता व पति स्वर्गीय भंवरसिंह के मध्य एक भागीदारी विलेख हरिओम वेयर हाउस के संबंध में वाद पत्र के माध्यम से दर्शित किया गया है, जो कि 2000/– रूपये के ई स्टॉम्प पर दिनांक 11.01.2021 को निष्पादित होकर नोटरी द्वारा तस्दिक करा कर भागीदारी लेख निष्पादित होकर अवधि प्रभावशील होना बताया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1अ के पति स्वर्गीय भंवरसिंह के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम सुहागपुरा तह. पीथमपुर जिला धार में परिवर्तित व्यवसायिक भूमि सर्वे नंबर 4/2/2 (4/2/2/1) रकबा 0.479 हैक्टेयर अर्थात 4790 वर्गफीट की भूमि पर दोनो पक्ष अर्थात वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1अ के पति भंवरसिंह वेयर हाउस बनाना चाहते थे जिस बाबत भागीदारी लेख निष्पादित करवाया था। वादी ने यह वाद पत्र स्वर्गीय भंवरसिंह की उक्त भूमि मेंसे विक्रय किये गए भूखण्ड के संबंध में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2022 सर्वे नंबर 4/2/2/1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2022 सर्वे नंबर 4/2/2/1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2023 सर्वे नंबर 4/2/2/1, स्थित पटवारी हल्का नंबर 62/125 ग्राम सुहागपुरा तह. पीथमपुर को भागीदारी विलेख के आधार पर शुन्य घोषित किये जाने एवं वेयर हाउस तोलकॉटा के समान

अनुपात में भागीदारी आय दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

उक्त विक्रय पत्रो को शुन्य घोषित कराने हेतु वादी ने दावे का मुल्याकन 1 करोड करते हुए 1,50,000/—रूपए न्यायालय शुल्क अदा किया है। वाद पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त विक्रय पत्रो में वादी स्वयं पक्षकार नहीं है प्रथम दृष्टया वादी द्वारा वाद का उचित मुल्याकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया जाना दर्शित होता है। वादी ने प्रस्तुत वाद में वाद कारण भागीदारी विलेख दिनांक 11.01.2021 में वर्णित भूमि में से भूखण्डो का, भंवरसिंह की मृत्यु के उपरांत निष्पादित विक्रय पत्रो की जानकारी होना तथा प्रतिवादी कमांक 1 के वारिसान द्वारा भागीदारी विलेख के विपरीत वादी को फर्म/वेयर हाउस/तोलकॉटा पर संचालन में रोका जाना बताया है। अतः जिससे यह स्पष्ट है किवादी ने प्रस्तुत वाद में वाद कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। अतः इस स्तर पर वाद के मुल्याकन एवं अपर्याप्त न्यायालय शुल्क तथा वाद कारण उल्लेख ना होने के आधार पर वादी का वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत वाद पत्र में वादी द्वारा समस्त अनुतोष भागीदारी विलेख दिनांक 11.01.2021 के आधार पर चाहे गए है उसके संबंध में वादी द्वारा भागीदारी विलेख निष्पादन दिनांक 11.01.2021 की छायाप्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने से दर्शित है की संस्था का नाम हरीओम वेयर हाउस होकर वादी भागीदारी विलेख में द्वितीय पक्षकार होना तथा प्रतिवादी कमांक 1 स्वर्गीय भंवरसिंह प्रथम पक्षकार होना दर्शित है। उक्त भागीदारी विलेख में प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार के अंतर्गत दोनो पक्षो के वैध प्रतिनिधि, असाईनजी, प्रशासक, आदि समावेषित होना लेख है। उक्त भागीदारी विलेख का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त भागीदारी विलेख पंजीकृत होना दर्शित नहीं है, अपितु नोटरीकृत है।

प्रतिवादी कि और से प्रस्तुत आवेदन के द्वारा स्पष्ट रूप से इस आधार पर वादी का वाद नामंजूर किये जाने का निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान से बाधित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि वादी ने यह वाद पत्र निष्पादित भागीदारी विलेख दिनांक 11.01.2021 के आधार पर प्रथम पक्ष स्वर्गीय भंवरसिंह के विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध एवं स्वर्गीय

भंवरसिंह के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रो को शुन्य घोषित कराये एवं संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु प्रस्तुत किया है, एवं उक्त भागीदारी विलेख रजिस्ट्रीकृत ना होकर नोटरीकृत है।

प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा वांछित अनुतोष का मुख्य स्त्रोत नोटरीकृत भागीदारी विलेख दिनांक 11.01.2021 है, जिसके आधार पर अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 में कोई भी वाद, किसी संविदा से उदभूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत कराने के लिए, किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से, उस फर्म के विरूद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिकथित हो किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मो के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुका हो।

अतः प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. के उपनियम ''घ'' के अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 के अधीन होकर विधि द्वारा वर्जित है। **अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 के वारिसान अ,ब,स,द, की और से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 25.11.2024, स्वीकार किया जाता है**, एवं उक्त आवेदन के स्वीकार किये जाने की दशा में वादी का वाद

पत्र अंतर्गत आदेश आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. के उपनियम ''घ'' नामंजूर किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत समय अवधि में अभिलेखागार में भेजा जावें।

—सही—
राखी सिकरवार
प्रथम व्यव. न्याया. वरिष्ठ खण्ड,
के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश
धार जिला धार, (म.प्र.)

RAKHI SIKERWAR
Digitally signed by RAKHI SIKERWAR
Date: 2026.08.12 17:16:56 +0530